Date – 11 July 2022

मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना

- हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना को लेकर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए थे।

नए दिशानिर्देश:

- दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते हैं।
- राज्यों को निधियों को मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसीडी सचिव करेंगे, जो अनुदान जारी करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन करेंगे।

- इसे 60:40 के अनुपात में फंड-शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- हालांकि, पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए, केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 90:10 में होगा।
- एमवीएस, राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में, बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा लागू करेगा, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित किया गया है।
- यह राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARA) का समर्थन करेगा जो देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का समर्थन करेगी।
- सारा राज्य में गोद लेने सहित गैर-संस्थागत देखभाल से संबंधित गतिविधियों का समन्वय, निगरानी और विकास करेगी।
- मिशन की योजना परित्यक्त और अवैध व्यापार किए गए बच्चों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित करने की है।
- देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लिंग (ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अलग घरों सहित) और उम्र के आधार पर अलग-अलग घरों में रखा जाएगा।
- चूंकि वे शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के कारण स्कूल नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये संस्थान व्यावसायिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा, मौखिक चिकित्सा और अन्य उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक, डॉक्टर और नर्स प्रदान करेंगे।
- इसके अलावा, इन विशिष्ट प्रभागों के कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा, ब्रेल और अन्य संबंधित भाषाओं में कुशल होना चाहिए।
- राज्य सरकार भगोड़े बच्चों, गुमशुदा बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों, कामकाजी बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, बाल भिखारियों, नशीली दवाओं के नशेड़ी आदि की देखभाल के लिए खुले आश्रयों की स्थापना का समर्थन करेगी।

YOJNA IAS

- विस्तारित परिवारों या पालक देखभाल में रहने वाले कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता भी निर्धारित की गई है।

मिशन वात्सल्य:

ऐतिहासिक परिदृश्य:

- 2009 से पहले, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए **तीन योजनाएं लागू कीं:**
- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम,
- सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम,
- बाल गृह सहायता योजना।
- वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे समेकित बाल संरक्षण योजना के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा योजना" कर दिया गया और फिर वर्ष 2021-22 में इसका नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया।

परिचय:

- यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए अंब्रेला योजना है।
- मिशन वात्सल्य के तहत घटकों में सांविधिक निकायों के कामकाज में सुधार, सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं को बढ़ाना, गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित देखभाल को बढ़ावा देना, आपातकालीन पहुंच और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सेवाएं शामिल हैं।

उद्देश्य:

- देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना।
- बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के जनादेश को पूरा करने में सहायता करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता हासिल

कर सकें और हर तरह से उनका पोषण कर सकें। सहायता करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करना

- यह अंतिम उपाय के रूप में 'बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत' के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

स्वदीप कुमार

रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात

- वर्ष 2021-22 के लिए भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपये अनुमानित था, जो अब तक का सबसे अधिक है।
- अमेरिका एक प्रमुख खरीदार होने के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देश भी थे।
- प्रमुख बिंदु
- निर्यात में निजी क्षेत्र का योगदान 70% था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में शेष के लिए जिम्मेदार थीं।
- पहले निजी क्षेत्र का हिस्सा 90% हुआ करता था लेकिन अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का हिस्सा बढ़ गया है।

- जबकि हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत के रक्षा आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, भारतीय कंपनियां तेजी से अमेरिकी रक्षा कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रही हैं।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल की पहल:

- जनवरी 2022 में, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट-आधारित एंटी-शिप संस्करण के लिए तीन बैटरियों की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के साथ 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इसका सबसे बड़ा रक्षा निर्यात आदेश है।
- भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान 310 विभिन्न हथियारों और प्रणालियों पर चरणबद्ध आयात प्रतिबंध लगाया है, जिससे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिली है।
- इन हथियारों और प्लेटफार्मों का अगले पांच से छह वर्षों में कई चरणों में स्वदेशीकरण किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के साथ बढ़ी हुई भागीदारी से रक्षा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत का रक्षा निर्यात:

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार के अभियान का मुख्य स्तंभ रक्षा निर्यात है।
- 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका, इज़राइल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस जैसे देशों को हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति की है।
- निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम और रडार सिस्टम शामिल हैं।
- हालांकि, भारत का रक्षा निर्यात अभी तक अपेक्षित सीमा तक नहीं पहुंचा है।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2015-2019 के लिए प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वां स्थान दिया।
- भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 17% निर्यात करता है।
- भारत के रक्षा निर्यात में निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अभी निर्यात के लिए कोई समर्पित एजेंसी नहीं है।

- भारत ने 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है।

रक्षा क्षेत्र की पहल:

रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डीपीईपीपी 2020):

- डीपीईपीपी 2020 को आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर एक केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण जोर प्रदान करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में बहुआयामी कदम:

- निजी उद्योग को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं।
- डीपीपी 2016 भारतीय आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) नामक एक नई श्रेणी के साथ सामने आया है।
- यदि कोई भारतीय कंपनी भारतीय आईडीडीएम का विकल्प चुनती है, तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता दी जाती है।

सामरिक भागीदारी:

- एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल भारतीय कंपनियों को विदेशी ओईएम के साथ सहयोग करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में परियोजनाओं का निर्माण और रखरखाव करने की अनुमति देता है।
- प्रचालन में पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए पहला आरएफपी।

सकारात्मक स्वदेशीकरण:

- पहली बार सरकार किसी वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगा रही है, सरकार स्वदेशी उद्योग को सशक्त बनाना चाहती है।
- 101 वस्तुओं और 108 वस्तुओं की दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ हैं, जो प्लेटफार्मों से लेकर हथियार प्रणालियों और सेंसर से लेकर अधिकतम वस्तुओं तक हैं।

स्वदीप कुमार

IPBES रिपोर्ट

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मुद्दों पर विज्ञान और नीति के बीच इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की समान भूमिका निभाना है।

- इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज़ (IPBES) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगली प्रजातियों का सतत् उपयोग अरबों लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।
    - वैश्विक स्तर पर 140 देशों के प्रतिनिधि वन्यजीवों के सतत् उपयोग पर चर्चा करने और बेहतर परिणामपर पहुंचने केलिये एक साथ आए।
    - इस मूल्यांकन के तहत जंगली प्रजातियों के लिये उपयोग की जाने वाली पाँच श्रेणियों की प्रथाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है-
        - मछली पकड़ना, इकट्ठा करना, लॉगिंग करना, स्थलीय पशु का शिकार जैसी गैर-निष्कर्षण प्रथाओं का अवलोकन।

- चार साल की अवधि के बाद जारी की जाने वाली यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है।

IPBES की पहल:

- भिवष्य में जंगली प्रजातियों केसतत् उपयोग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के तहत **विवध मूल्य प्रणालियों का एकीकरण, सांस्कृतिक मानदंडों, लागत और लाभों का समान वितरण, सामाजिक मूल्यों एवं प्रभावी संस्थानों तथा** शासन प्रणालियों में परिवर्तन करकेलक्ष्य के प्राप्ति की जा सकती है ।
- जहां भी संभव हो असंधारणीय/असतत जंगली प्रजातियों के उपयोग के कारणों को संबोधित करना और इन **प्रवृत्तियों में बदलाव** केद्वारा जंगली प्रजातियों और उनपर निर्भर लोगों की जीविका को बिना क्षति पहुंचाए बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।
- यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि वैज्ञानिकों और विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का स्वदेशी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर जंगली प्रजातियों केसतत् उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
    - **अधिकांश राष्ट्रीय ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते आर्थिक एवं शासन केमुद्दों सिहत पारिस्थितिक तथा कुछ सामाजिक विचारों पर ज़ोर देना जारी रखे हुए हैं, जबिक सांस्कृतिक संदर्भों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।**
- **मछली पकड़ने में वर्तमान अक्षमताओं में सुधार, अवैध, असूचित और अनियिमत मछली पकड़ने को कम करना, हानिकारक वित्तीय सब्सिडी में कमी,** छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन का समर्थन करना, जलवायु परिवर्तन केकारण समुद्री उत्पादकता में परिवर्तन को सिक्रय रूप से प्रभावी सीमा तक सक्षम बनाने से स्थायी उपयोग में मदद मिलेगी।
    - मज़बूत मत्स्य प्रबंधन वाले देशों में स्टॉक में बहुतायत में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण केलिये अटलांटिक ब्लूफिन टूना आबादी का पुनिर्वकास किया गया है और अब इसका टिकाऊ आधार पर मत्स्यन किया जा रहा है।
- लकड़ी केसंदर्भ में इसे कई उपयोगों केलिये वनों के प्रबंधन और प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, लकड़ी केउत्पादों केनिर्माण में कचरे को कम करने केलिये तकनीकी नवाचार और आर्थिक एवं राजनीतिक पहल आवश्यक है, जो भूमि अधिग्रहण सिहत स्वदेशी लोगों तथा स्थानीय समुदायों केअधिकारों को मान्यता देती है।

आईबीपीईएस

- यह वर्ष 2012 में सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है।
- यह जैविविवधता केसंरक्षण और सतत् उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण, सतत् विकास केलिये जैविविवधता एवं पारिस्थितकी तंत्र सेवाओं हेतु विज्ञान-नीति इंटरफेस (**science-policy interface)** को मज़बूत करता है।
- **जंगली प्रजातियों पर निर्भरता:**
    - वैश्विक स्तर पर विश्व की कुल आबादी का लगभग 70% गरीब आबादी सीधे तौर पर जंगली प्रजातियों पर निर्भर है।
    - वश्व की कुल आबादी का लगभग 20% लोग अपना भोजन जंगली पौधों, शैवाल और कवक से प्राप्त करते हैं।
- **आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत:**
    - लाखों लोगों दारा जंगली प्रजातियों का उपयोग आय केएक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में करते है।
    - वैश्विक औद्योगिक राउंडवुड केव्यापार का दो-तिहाई हिस्सा जंगली पेड़ प्रजातियों में जंगली पौधों, शैवाल और कवक केअंतर्गत शामिल है, यह एक अरब डॉलर का उद्योग है और यहाँ तक कि जंगली प्रजातियों का गैर-निष्कर्षण भी एक बड़ा व्यवसाय है।
- **स्थानीय स्तर पर भिन्नताएँ:**
    - कुल समुद्री जीव प्रजातियों में से लगभग 34% समुद्री जंगली मछली स्टॉक ओवरिफश हैं और 66% जैविक रूप से टिकाऊ स्तरों केभीतर है, इस वैश्विक तस्वीर में महत्त्वपूर्ण स्थानीय और प्रासंगिक भिन्नताएँहैं।
- **वृक्षों की सतत् कटाई:**
    - जंगली पेड़ों की स्थायी कटाई से अनुमानित 12% प्रजातियों केअस्तित्व को खतरा है।
    - कई पौधों के समूहों के अस्थिर जमाव मुख्य खतरों में से एक, विशेष रूप से कैक्टि, साइकैड और ऑर्किड ।

- अस्थिर शिकार को 1,341 जंगली स्तनपायी प्रजातियों के लिये एक खतरे के रूप में पहचाना गया है, जिसमें बड़ी-बड़ी प्रजातियों में गिरावट आई है, जिनमें वृद्धि की कम प्राकृतिक दर भी शिकार के दबाव से जुड़ी हुई है।

- **जंगली प्रजातियों के सतत् उपयोग:**
  - विकासशील देशों में ग्रामीण लोगों को जंगली प्रजातियों के निरंतर उपयोग से सबसे अधिक खतरा होता है, पूरक विकल्पों की कमी के कारण वे अक्सर पहले से ही खतरे में पड़ी जंगली प्रजातियों का दोहन करने के लिये मजबूर होते हैं।
    - विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से लगभग 50,000 जंगली प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सीधे मानव भोजन (Human Food) के लिये 10,000 से अधिक जंगली प्रजातियाँ काटी जाती हैं।
- **जंगली प्रजातियों को खतरा:**
  - कुछ प्रजातियों का सांस्कृतिक महत्त्व है क्योंकि वे कई लाभ प्रदान करते हैं जो लोगों की सांस्कृतिक विरासत की मूर्त और अमूर्त विशेषताओं को परिभाषित करते हैं।
  - जंगली प्रजातियों का उपयोग भी ऐसे समुदायों के लिये सांस्कृतिक रूप से सार्थक रोज़गार का एक स्रोत है और वे सहस्राब्दियों से जंगली प्रजातियों एवं सामग्रियों के व्यापार में लगे हुए हैं।
  - जंगली चावल (ज़िज़ानिया पलुस्ट्रिस एल) एक सांस्कृतिक कीस्टोन प्रजाति है, जो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में कई स्वदेशी लोगों के लिये भौतिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जीविका प्रदान करती है।
- **चालक जलवायु परिवर्तन और खतरा**
  - भूमि और समुद्री दृश्य जैसे चालक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ जंगली प्रजातियों की बहुतायत और वितरण को प्रभावित करते हैं तथा उन मानव समुदायों के बीच तनाव एवं चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं जो उनका उपयोग करते हैं।
- **जंगली प्रजातियों का अवैध व्यापार:**
  - पिछले चार दशकों में जंगली प्रजातियों के वैश्विक व्यापार में मात्रा, मूल्य और व्यापार नेटवर्क में काफी विस्तार हुआ है।

- जंगली प्रजातियों का अवैध व्यापार सभी अवैध व्यापार के तीसरे सबसे बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसका अनुमानित वार्षिक मूल्य USD199 बिलियन तक है। लकड़ी और मछली जंगली प्रजातियों में अवैध व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा व मूल्य का निर्माण करते हैं।

रवि सिंह